श्री राजेश कुमार, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों/विभागीय कार्यवाही/सेवान्त लाभ से संबंधित लम्बित मामलों की दिनांक 13.10.2014 को की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति :-

यथा पंजी के अनुसार।

समीक्षोपरान्त बैठक में निम्न निदेश दिये गये :-

☞ **न्यायालय से संबंधित लम्बित मामले** :- समीक्षात्मक बैठक में M.J.C./C.W.J.C. से संबंधित लम्बित मामलों का समर्पित प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि आज की तिथि में 06 (छः) एम0जे0सी0 का मामला अनुपालन हेतु क्रमशः बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनमनखी, जिला प्रबंधक बिहार राज्य खाद्य निगम पूर्णियाँ, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) शिक्षा पूर्णियाँ, अनुमंडल पदाधिकारी बनमनखी एवं जिला कृषि पदाधिकारी पूर्णियाँ के स्तर से कारणपृच्छा दायर करने हेतु लम्बित है। एम0जे0सी0 वाद का समय-सीमा के अन्दर निष्पादित नहीं किया जाना अत्यंत ही खेदजनक विषय है। संबंधित सभी पदाधिकारियों को कड़ी चेतावनी के साथ निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर कारणपृच्छा दायर करने हेतु तथ्य विवरणी अनुमोदित कराना सुनिश्चित करें। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, पूर्णियाँ उक्त निदेश की सूचना संबंधित पदाधिकारियों को देते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

☞ **सी0डब्लू0जे0सी0** :- बैठक में समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर 94 (चौरानबे) C.W.J.C. में प्रतिशपथ पत्र दायर करने की कार्रवाई लम्बित है, जिसमें 22 मामलों में माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु पदाधिकारी प्राधिकृत है, परन्तु अभी तक प्रतिशपथ पत्र दायर करने की सूचना ओथ संख्या के साथ अप्राप्त है। उक्त सभी प्राधिकृत पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर प्रतिशपथ पत्र दायर कर अनुपालन प्रतिवेदन ओथ संख्या के साथ समर्पित करने का निदेश दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, पूर्णियाँ उक्त निदेश की सूचना प्राधिकृत पदाधिकारियों को देते हुए यथानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। शेष लम्बित सी0डब्लू0जे0सी0 जिसमे अभी तक तथ्य विवरणी अनुमोदित नहीं कराया गया है, उसमें एक सप्ताह के अन्दर तथ्य विवरणी अनुमोदित कराने का निदेश सभी पदाधिकारियों को दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, पूर्णियाँ इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

☞ **विभागीय कार्यवाही** :- बैठक में समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर 14 विभागीय कार्यवाही का मामला लम्बित पाया गया। समीक्षोपरान्त निदेश दिया गया कि विभागीय कार्यवाही के जिस मामला में संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन संचालन पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अन्दर जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। स्थापना उपसमाहर्त्ता, पूर्णियाँ अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

☞ **<u>सेवान्त लाभ</u>** :- लम्बित सेवान्त लाभ से संबंधित प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि अधिकांश मामलों में सिर्फ भविष्य निधि का अन्तिम भुगतान लम्बित है। भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान के लम्बित मामलों से संबंधित पदाधिकारियों/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर सभी लम्बित भविष्य निधि का भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे। कुछ मामलों में पेंशन उपदान लम्बित पाया गया। लम्बित रहने का कारण स्पष्ट नहीं रहने के कारण संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सेवान्त लाभ से संबंधित सभी लम्बित भुगतान एक सप्ताह के अन्दर करेंगे अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायगी।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह० —
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक .....1858...../स्था०, पूर्णियाँ दिनांक .....13.10.2014.

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ/अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच)/उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी०आर०डी०ए०, पूर्णियाँ/सभी प्रखंड के नोडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, पूर्णियाँ/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णियाँ/समाहरणालय पूर्णियाँ स्थित सभी प्रशाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/सभी अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ जिला/जिला अवर निबंधक, पूर्णियाँ/अवर निबंधक, धमदाहा/अमौर/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/सभी परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/सभी रेफरल अस्पताल, पूर्णियाँ जिला/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूर्णियाँ जिला एवं कार्यालय अधीक्षक, समाहरणालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

Rajesh
13/10/14
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।